



राजस्थान-सरकार

न्यायालय उप जिला कलक्टर सैपऊ, जिला धौलपुर

दीवामीन अधिकारी - दीपक सिंह खटाना (आर0 ए0 एस0)

प्रकरण संख्या-45/2017

- 1-सन्तोषी पुत्र मुकुट सिंह जाति ठाकुर निवासी परौआ तहसील सैपऊ जिला धौलपुर
 2-जगमोहन पुत्र रामनिवास 3-कमला पत्नी रामनिवास जातिगण ठाकुर निवासीगण परौआ तहसील सैपऊ जिला धौलपुर (राज0)

.....वादीगण

बनाम

- 1-चन्द्रपाल 2-वसन्त 3-वासदेव 4-कैलासी पुत्रगण नत्थीलाल 5-सुसीला पत्नी नत्थीलाल (फौत दौराने विचारण वाद) समस्त जातिगण ठाकुर निवासीगण परौआ 6-गुडडी पुत्री नत्थीलाल पत्नी शंकरसिंह जाति ठाकुर निवासी परौआ हाल आबाद ग्राम बयाना तहसील बयाना जिला भरतपुर 7-नत्थी पुत्र नेता 8-गोपाल पुत्र नेता जातिगण काछी निवासीगण परौआ तहसील सैपऊ 9-सोवरन सिंह पुत्र रामजीलाल जाति दर्जी निवासी परौआ 10-रामवती पत्नी रामस्वरूप जाति बघेल निवासी परौआ 11-सतीश पुत्र अनारसिंह 12-मनीशा पुत्री अनारसिंह 13-रामदास पुत्र अनारसिंह 14-अक्षय कुमार पुत्र अनारसिंह 15-संजी उर्फ संजीव देवल समस्त नावा0 सरपरस्त पिता खुद अनारसिंह जातिगण ठाकुर निवासीगण ग्राम सामौर तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर 16-पवन पुत्र विसम्भर 17-गज्जन पुत्र विसम्भर 18-किन्ना पुत्री विसम्भर जातिगण ठाकुर निवासीगण वोथपुरा तहसील मनियां जिला धौलपुर

19-एस0बी0आई0 शाखा तसीमों जरिये शाखा प्रबन्धक

20-एस0बी0आई0 शाखा धौलपुर जरिये शाखा प्रबन्धक

21-राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ तहसील सैपऊ

22-नेपाल सिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम सामौर तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर

23-राजकुमार पुत्र मुन्नालाल 24-बलिराम पुत्र मुन्नालाल 25-बिष्णु पुत्र मुन्नालाल

26-रामअवतार पुत्र रनसिंह 27-मनोज कुमार पुत्र रनसिंह 28-लोकेन्द्रसिंह पुत्र रनसिंह जातिगण ठाकुर निवासीगण परौआ तहसील सैपऊ जिला धौलपुर।

.....प्रतिवादीगण

वाद वास्ते बटवारा काश्त एवं स्थाई निषेधाज्ञा
आधीन धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट



- 1-श्री शेषकुमार शर्मा एडवोकेट(वादीगण)
 2-श्री नरेन्द्र परमार एडवोकेट..... (प्रतिवादी संख्या 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15)
 3-श्री रामगोपाल परमार एडवोकेट.....(प्रतिवादी संख्या-16, 17, 18)
 4-श्री गिरीश व्यास एडवोकेट.....(प्रतिवादी संख्या-26, 27, 28)
 5-श्री सज्जन बाबू तिवारी एडवोकेट.....(प्रतिवादी संख्या-22, 23, 24, 25)

उपस्थान्त अधिकारी

निर्णय

दिनांक 28.09.2022

संक्षिप्त में उक्त उनवानी प्रकरण न्यायालय में वास्ते विवादित आराजी खाता संख्या 266 के खसरा नम्बर 303 रकवा 1 बीघा 05 विस्वा व खाता संख्या 268 के खसरा नम्बर 60 रकवा 02 बीघा 01 विस्वा, खसरा नम्बर 120 रकवा 03 बीघा 01 विस्वा व खाता संख्या 269 के खसरा नम्बर 1354/221 रकवा 05 विस्वा, खाता संख्या 270 के खसरा नम्बर 57 रकवा 17 विस्वा, खाता संख्या 88 के खसरा नम्बर 22 रकवा 02 बीघा 07 विस्वा, खसरा नम्बर 25 रकवा 02 बीघा 06 विस्वा, खसरा नम्बर 26 रकवा 02 विस्वा, खसरा नम्बर 27 रकवा 01 बीघा 18 विस्वा, खसरा नम्बर 28 रकवा 02 बीघा 01 विस्वा, खसरा नम्बर 56 रकवा 01 बीघा 04 विस्वा, खसरा नम्बर 58 रकवा 01 बीघा 16 विस्वा, खसरा नम्बर 59 रकवा 01 बीघा 16 विस्वा, खसरा नम्बर 61 रकवा 01 बीघा, खसरा नम्बर 150 रकवा 01 बीघा 09 विस्वा, खसरा नम्बर 324 रकवा 01 बीघा 17 विस्वा, खसरा नम्बर 341 रकवा 02 बीघा, खसरा नम्बर 387 रकवा 01 बीघा 11 विस्वा, खसरा नम्बर 388 रकवा 01 बीघा 03 विस्वा, खसरा नम्बर 390 रकवा 01 बीघा 09 विस्वा, खसरा नम्बर 393 रकवा 02 बीघा 15 विस्वा, कुल किता 16 कुल रकवा 27 बीघा 14 विस्वा वाकेग्राम परौआ पटवार हल्का कनासिल तहसील सैपऊ जिला धौलपुर का पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादी संख्या 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 की ओर से श्री नरेन्द्र परमार एडवोकेट, प्रतिवादी संख्या-16, 17, 18 श्री रामगोपाल परमार एडवोकेट, प्रतिवादी संख्या-26, 27, 28 श्री गिरीश व्यास एडवोकेट, प्रतिवादी संख्या-22, 23, 24, 25 श्री सज्जन बाबू तिवारी एडवोकेट जरिये वकालतनामा पेश कर उपस्थित हुये एवं गुणावगुण के आधार पर दावा दिनांक 16.06.2022 को दावा वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाकर विवादित आराजीयात का वादी एवं प्रतिवादी के मध्य बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन कर तहसीलदार सैपऊ को आदेश दिये गये कि वह अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी आराजी के पक्षकारों के रिकार्ड में दर्ज हिस्सों के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवायें।

तहसीलदार सैपऊ द्वारा अपने पत्रांक:राजस्व/2022/556 दिनांक 27.09.2022 द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवायें। विभाजन प्रस्ताव पर विद्वान वादी एवं प्रतिवादी अभिभाषकगण को सुना गया तथा उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगण द्वारा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दावा अन्तिम डिक्री करने का निवेदन किया। तहसीलदार सैपऊ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। तहसीलदार सैपऊ द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव पक्षकारों के दर्ज हिस्से अनुसार ही हैं। तहसीलदार द्वारा विभाजित खसरा नम्बरों के बावत् प्रस्तावित तरमीम नक्शा भी प्रेषित किया है। ऐसी स्थिति में दावा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री करना उचित समझते हैं।

अतः आदेश है कि दावा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा आराजी वादग्रस्त स्थित वाकेग्राम परौआ पटवार हल्का कनासिल तहसील सैपऊ के बावत् पक्षकारान् के मध्य निम्नानुसार बटवारा किया जाता है :-


उपरोक्त अधिकारी
सैपऊ

सन्तोषी पुत्र मुकट सिंह जाति ठाकुर सा० देह खातेदार (राहिन आ.ख.नं. 60 में
सन्तोषी हिस्सा 209/864 राहिन एस०बी०आई तसीमों)

क्र०सं०	ख०न०	रकवा	किस्म
1-	28	0.5184	न.अलि.
2-	59	0.4552	न.अलि.
3-	60	0.5184	न.अलि.
4-	324	0.4679	न.प्रथम
5-	341	0.5058	न.प्रथम
6-	388	0.2908	न.प्रथम
7-	390	0.3667	न.अलिफ
8-	393	0.6955	न.प्रथम

योग किता-8 रकवा- 3.8187 हैक्टेयर

2-सन्तोषी पुत्र मुकट सिंह हिस्सा 1757/1846 जाति ठाकुर सा० देह व नेपाल पुत्र
अनार सिंह हिस्सा 89/1846 जाति ठाकुर सा० सामौर तहसील राजाखेड़ा खातेदार।

क्र०सं०	ख०न०	रकवा	किस्म
1-	56/1	0.1846	न.अलिफ

योग किता-1 रकवा- 0.1846 हैक्टेयर

3-कमला पत्नी रामनिवास हिस्सा 961/2137 जगमोहन पुत्र रामनिवास हिस्सा
1176/2137 जाति ठाकुर सा० देह खातेदार, कमला हिस्सा 4378/10685 व
जगमोहन हिस्सा 8757/21370 राहिन बी.आर.के.जी.बी.शाखा सैपऊ मु.बि.क.।

क्र०सं०	ख०न०	रकवा	किस्म
1-	22	0.5943	न.अलिफ
2-	25	0.5817	न.अलिफ
	26	0.0253	गै.मु.कुआ
	27	0.4805	न.अलिफ
	58	0.4552	न.अलिफ


योग किता-5 रकवा- 2.1370 हैक्टेयर

4-बलिराम, राजकुमार, विष्णु पुत्रान पिसरान मुन्नालाल हिस्सा बराबर जाति ठाकुर
सा० देह खातेदार।

क्र०सं०	ख०न०	रकवा	किस्म
1-	120/1	0.3794	न.अलिफ

योग किता-1 रकवा- 0.3794 हैक्टेयर


उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ



5-रामअवतार, मनोजकुमार, लोकेन्द्रसिंह पुत्रान पिसरान रनसिंह हिस्सा बराबर जाति ठाकुर सा0 देह खातेदार।

क्र०सं०	ख०नं०	रकवा	किस्म
1-	120/2	0.3919	न.अलिफ

योग किता-1 रकवा- 0.3919 हैक्टेयर

6-कैलाशी पुत्र नत्थीलाल हिस्सा 1085/7992 वसन्तसिंह पुत्र नत्थीलाल हिस्सा 565/7992, चन्द्रपाल पुत्र नत्थीलाल हिस्सा 1057/5328, वासदेव पुत्र नत्थीलाल हिस्सा 1057/5328, गुड्डी पुत्री नत्थीलाल हिस्सा 1057/5328 जाति ठाकुर सा0 देह व पवन गज्जन पुत्रान व किन्ना पुत्री पिसरान विशम्भर हिस्सा बराबर 1057/5328 जाति ठाकुर सा0 बोथपुरा मनियां खातेदार।

क्र०सं०	ख०नं०	रकवा	किस्म
1-	56/2	0.1189	न.अलिफ
2-	57	0.2150	न.अलिफ
3-	61	0.5058	न.अलिफ
4-	150	0.3667	न.अलिफ
5-	387	0.3920	न.प्रथम

योग किता-5 रकवा- 1.5984 हैक्टेयर

7-कमला पत्नी रामनिवास हिस्सा 172/3161 जगमोहन पुत्र रामनिवास हिस्सा 172/3161 कैलाशी, चन्द्रपाल, वसन्तसिंह, वासदेव पुत्रान व गुड्डी पुत्री पिसरान नत्थीलाल हिस्सा बराबर 650605/1365552 जाति ठाकुर सा0 देह व पवन, गज्जन पुत्रान व किन्ना पुत्री पिसरान विशम्भर हिस्सा बराबर 130121/1365552 जाति ठाकुर सा0 बोथपुरा मनियां व गोपाल पुत्र नेता हिस्सा 17/432 नत्थी पुत्र नेता हिस्सा 17/144 जाति काछी व रामवती पत्नी रामस्वरूप हिस्सा 1/12 जाति गडरिया व सोवहनसिंह पुत्र रामजीलाल हिस्सा 17/216 जाति दर्जी सा0 देह खातेदार।

क्र०सं०	ख०नं०	रकवा	किस्म
1-	303	0.3161	न.अलिफ

योग किता-1 रकवा- 0.3161 हैक्टेयर

संपूर्ण समस्त खातेदारान् का खसरा नम्बर 1354/221 रकवा 0.0632 हैक्टेयर किस्म नहरी प्रथम पूर्व की भाँति शामिल रहेगा।

उपरोक्तानुसार ही राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज कर पक्षकारों के पृथक-पृथक खाता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। साथ ही यह आदेश दिया जाता है कि विभाजित खसरा नम्बरान की आदेशानुसार राजस्व नक्शा में तरमीम की जावे। एवं


उपसहस्र अधिकारी
धपऊ

न्यायपक्षकारान् को पाबन्द किया जाता है कि वह एक-दूसरे के हिस्से में आयी आराजी में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें। पर्चा डिक्री जारी किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर हस्व दफा दाखिल दफ्तर हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 28.09.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।




उपनिर्देशाधिकारी
दफ्तर



राजस्थान-सरकार

डिगरी व मुकदमे ईवादाई

अदालत - उप जिला कलक्टर सैपऊ

डिगरी जिला - दीपक सिंह खटाना (आर0 ए0 एस0)

प्रकरण संख्या-45 / 2017

- 1-सन्तोषी पुत्र मुकुट सिंह जाति ठाकुर निवासी परौआ तहसील सैपऊ जिला धौलपुर
- 2-जगमोहन पुत्र रामनिवास 3-कमला पत्नी रामनिवास जातिगण ठाकुर निवासीगण परौआ तहसील सैपऊ जिला धौलपुर (राज0)

बनाम

.....वादीगण

- 1-चन्द्रपाल 2-वसन्त 3-वासदेव 4-कैलासी पुत्रगण नरथीलाल 5-सुसीला पत्नी नरथीलाल (फौत दौराने विचारण वाद) समस्त जातिगण ठाकुर निवासीगण परौआ 6-गुड्डी पुत्री नरथीलाल पत्नी शंकरसिंह जाति ठाकुर निवासी परौआ हाल आबाद ग्राम बयाना तहसील बयाना जिला भरतपुर 7-नरथी पुत्र नेता 8-गोपाल पुत्र नेता जातिगण काछी निवासीगण परौआ तहसील सैपऊ 9-सोवरन सिंह पुत्र रामजीलाल जाति दर्जी निवासी परौआ 10-रामवती पत्नी रामस्वरूप जाति बघेल निवासी परौआ 11-सतीश पुत्र अनारसिंह 12-मनीषा पुत्री अनारसिंह 13-रामदास पुत्र अनारसिंह 14-अक्षय कुमार पुत्र अनारसिंह 15-संजी उर्फ संजीव देवल समस्त नावा0 सरपरस्त पिता खुद अनारसिंह जातिगण ठाकुर निवासीगण ग्राम सामौर तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर 16-पवन पुत्र विसम्भर 17-गज्जन पुत्र विसम्भर 18-किन्ना पुत्री विसम्भर जातिगण ठाकुर निवासीगण बोथपुरा तहसील मनियां जिला धौलपुर
- 19-एस0बी0आई0 शाखा तसीमों जरिये शाखा प्रबन्धक
- 20-एस0बी0आई0 शाखा धौलपुर जरिये शाखा प्रबन्धक
- 21-राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ तहसील सैपऊ
- 22-नेपाल सिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम सामौर तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर
- 23-राजकुमार पुत्र मुन्नालाल 24-बलिराम पुत्र मुन्नालाल 25-विष्णु पुत्र मुन्नालाल
- 26-रामअवतार पुत्र रनसिंह 27-मनोज कुमार पुत्र रनसिंह 28-लोकेंद्रसिंह पुत्र रनसिंह

.....प्रतिवादीगण



वाद वास्ते बटवारा काश्त एवं स्थाई निषेधाज्ञा

आधीन धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट

आज यह मुकदमा इन्फिसाल कर्तई रूबरू मुझ दीपक सिंह खटाना (आर.ए.एस.) व हाजरी मिनजानिव मुद्दई श्री शेषकुमार शर्मा एडवोकेट एवं मिनजानिव मुद्दायालह श्री नरेन्द्र परमार (प्रतिवादी संख्या 3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15), श्री रामगोपाल परमार एडवोकेट (प्रतिवादी संख्या-16, 17, 18), श्री निरीश व्यास एडवोकेट (प्रतिवादी संख्या-26, 27, 28), श्री सज्जन बाबू तिवारी एडवोकेट (प्रतिवादी संख्या-22, 23, 24, 25) को पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है। कि दावा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा आराजी वादग्रस्त स्थित वाकेग्राम परौआ पटवार हल्का कनासिल तहसील सैपऊ के बावत् पक्षकारान् के मध्य निम्नानुसार बटवारा किया जाता है :-

उपरोक्त अधिकारी

दस्तावेज

सन्तोषी पुत्र मुकट सिंह जाति ठाकुर सा० देह खातेदार (राहिन आ.ख.नं. 60 में सन्तोषी हिस्सा 209/864 राहिन एस०बी०आई तसीमों)

क्र०सं०	ख०नं०	रकवा	किस्म
1-	28	0.5184	न.अलि.
2-	59	0.4552	न.अलि.
3-	60	0.5184	न.अलि.
4-	324	0.4679	न.प्रथम
5-	341	0.5058	न.प्रथम
6-	388	0.2908	न.प्रथम
7-	390	0.3667	न.अलिफ
8-	393	0.6955	न.प्रथम

योग किता-8 रकवा- 3.8187 हैक्टेयर

2-सन्तोषी पुत्र मुकट सिंह हिस्सा 1757/1846 जाति ठाकुर सा० देह व नेपाल पुत्र अनार सिंह हिस्सा 89/1846 जाति ठाकुर सा० सामौर तहसील राजाखेड़ा खातेदार।

क्र०सं०	ख०नं०	रकवा	किस्म
1-	56/1	0.1846	न.अलिफ

योग किता-1 रकवा- 0.1846 हैक्टेयर

3-कमला पत्नी रामनिवास हिस्सा 961/2137 जगमोहन पुत्र रामनिवास हिस्सा 1176/2137 जाति ठाकुर सा० देह खातेदार, कमला हिस्सा 4378/10685 व जगमोहन हिस्सा 8757/21370 राहिन बी.आर.के.जी.बी.शाखा सैपऊ मु.वि.क.।

क्र०सं०	ख०नं०	रकवा	किस्म
1-	22	0.5943	न.अलिफ
2-	25	0.5817	न.अलिफ
3-	26	0.0253	गै.मु.कुआ
4-	27	0.4805	न.अलिफ
5-	58	0.4552	न.अलिफ

योग किता-5 रकवा- 2.1370 हैक्टेयर

4-बलिराम, राजकुमार, विष्णु पुत्रान पिसरान मुन्नालाल हिस्सा बराबर जाति ठाकुर सा० देह खातेदार।



क्र०सं०	ख०नं०	रकवा	किस्म
1-	120/1	0.3794	न.अलिफ

जयपुर जिला अधिकारी
जयपुर

किता-1

रकवा- 0.3794 हैक्टेयर

5-रामअवतार, मनोजकुमार, लोकेन्द्रसिंह पुत्रान पिसरान रनसिंह हिस्सा बराबर जाति ठाकुर सा0 देह खातेदार।

क्र0सं0	ख0नं0	रकवा	किस्म
1-	120 / 2	0.3919	न.अलिफ

योग किता-1 रकवा- 0.3919 हैक्टेयर

6-कैलाशी पुत्र नत्थीलाल हिस्सा 1085 / 7992 वसन्तसिंह पुत्र नत्थीलाल हिस्सा 565 / 7992, चन्द्रपाल पुत्र नत्थीलाल हिस्सा 1057 / 5328, वासदेव पुत्र नत्थीलाल हिस्सा 1057 / 5328, गुड्डी पुत्री नत्थीलाल हिस्सा 1057 / 5328 जाति ठाकुर सा0 देह व पवन गज्जन पुत्रान व किन्ना पुत्री पिसरान विशम्भर हिस्सा बराबर 1057 / 5328 जाति ठाकुर सा0 बोथपुरा मनियां खातेदार।

क्र0सं0	ख0नं0	रकवा	किस्म
1-	56 / 2	0.1189	न.अलिफ
2-	57	0.2150	न.अलिफ
3-	61	0.5058	न.अलिफ
4-	150	0.3667	न.अलिफ
5-	387	0.3920	न.प्रथम

योग किता-5 रकवा- 1.5984 हैक्टेयर

7-कमला पत्नी रामनिवास हिस्सा 172 / 3161 जगमोहन पुत्र रामनिवास हिस्सा 172 / 3161 कैलाशी, चन्द्रपाल, वसन्तसिंह, वासदेव पुत्रान व गुड्डी पुत्री पिसरान नत्थीलाल हिस्सा बराबर 650605 / 1365552 जाति ठाकुर सा0 देह व पवन, गज्जन पुत्रान व किन्ना पुत्री पिसरान विशम्भर हिस्सा बराबर 130121 / 1365552 जाति ठाकुर सा0 बोथपुरा मनियां व गोपाल पुत्र नेता हिस्सा 17 / 432 नत्थी पुत्र नेता हिस्सा 17 / 144 जाति काछी व रामवती पत्नी रामस्वरूप हिस्सा 1 / 12 जाति गडरिया व सोवरनसिंह पुत्र रामजीलाल हिस्सा 17 / 216 जाति दर्जी सा0 देह खातेदार।

क्र0सं0	ख0नं0	रकवा	किस्म
1-	303	0.3161	न.अलिफ


योग किता-1 रकवा- 0.3161 हैक्टेयर

8-पिसरा नम्बर 1354 / 221 रकवा 0.0632 हैक्टेयर किस्म नहरी प्रथम समस्त खातेदारान् का पूर्व की भाँति शामिल रहेगा।

उपरोक्तानुसार ही राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राजं कर पक्षकारों के पृथक-पृथक खाता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। साथ ही यह आदेश दिया जाता है कि


उपसहस्र अधिकारी

खसरा नम्बरान की आदेशानुसार राजस्व नक्शा में तरमीम की जावे। एवं
अपक्षकारान् को पाबन्द किया जाता है कि वह एक-दूसरे के हिस्से में आयी आराजी में
किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर
राजस्व दफा दाखिल दफ्तर हो।
वशव्द मेरे एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 28.09.2022 को जारी की गई।


(दीपक सिंह खटाना)
उप-जिला कलेक्टर
सबक

